**African Students in Indian Universities**

**1015. Shri Ravindra Varma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of African students (excluding those of Indian origin) at present enrolled in Indian Universities and institutions of higher learning;

(b) the number of each University;

(c) how many of these receive scholarships from the Government of India; and

(d) what programmes the Indian Council of Cultural Relations have undertaken for the welfare of African students in India and for enabling them to understand and appreciate Indian Culture?

**The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali):** Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**पुनशलन मिलें**

१०१६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें भारत की पुनर्वेलन मिलों की उत्पादन क्षमता, जोकि कुछ वर्ष पूर्व निर्धारित की गयी थी और १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ के वर्ष में पुनर्वेलन करने वालों को आवंटित किये गये बिलेट्स की मात्रा बताई गई हो ?

**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रमण्यम)** : पुनर्वेलन मिल की बिलकुल ठीक ठीक क्षमता निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ग या अनुभाग विशेष में बदले जाने से उत्पादन में परिवर्तन आ जाता है। पुनर्वलन मिलों की उत्पादन क्षमता के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

पुनर्वेलन मिलों के लिये बिलेट्स का आवंटन निम्नलिखित था :—

| | टन |
|---|---|
| १९५८ | ३१७,७०० |
| १९५९ | ४०९,३१५ |
| १९६० | *८०६,०२५ |
| १९६१ | ४८७,६०९ |

(*१९६० में अत्याधिक सप्लाई का कारण नये इस्पात संयंत्रों में बैलन मिलों की तैयार माल की क्षमता के विकास में समयान्तर था।)

**पुनर्वेलन मिलें**

१०१७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से लोहे और इस्पात पर नियंत्रण का आदेश जारी हुआ है तब से पुनर्वेलन मिलों पर अपनी क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रमण्यम)** : (क) और (ख). लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश, १९५६ की धारा १६ के अधीन प्रत्येक पुनर्वेलन मिल की संयंत्र उपकरण या बिल्डिंग में वृद्धि करने के लिये आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। वर्तमान संयंत्र का सदुपयोग करने से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बिलेट्स की सम्पूर्ण उपलब्धि को ध्यान में रख कर इकाइयों की क्षमता में विस्तार पर गुणानुसार विचार किया गया है।

फिर ऐसी भी छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये जो स्थानीय उपलब्ध का उपयोग करती हैं—जिस में बिलेट्स जिस की सप्लाई